निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 चैत्र 1937 (श0)

(सं0 पटना 468) पटना, वृहस्पतिवार, 9 अप्रील 2015

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

26 मार्च 2015

सं0 22 / नि0सि0(सम0)–02–07 / 2012 / 733—श्री नागेश्वर प्रसाद, तत्कालीन प्राक्कलन पदाधिकारी (सहायक अभियंता), बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, रोसड़ा के विरूद्ध उक्त प्रमंडलान्तर्गत एम0 आर0 फंड से कराये गये सम्पोषण कार्य में बरती गयी अनियमितता की जॉच उड़नदस्ता अंचल से करायी गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त निम्न आरोपों के लिए प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए श्री नागेश्वर प्रसाद, तत्कालीन प्राक्कलन पदाधिकारी से विभागीय पत्रांक 1429 दिनांक 25.09.14 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गयाः–

1. दिनांक 31.03.12 तक कार्य समाप्त नहीं होने के बावजूद भी सम्पूर्ण राशि का भुगतान दिनांक 30.03.12 के पूर्व ही कर दिया गया जो वित्तीय अनियमितता एवं गलत मंशा को परिलक्षित करता है।

2. विभागीय पत्रांक 28 / 28–7–30–82 / 2000–171 दिनांक 27.07.2000 में निहित निदेशों में उक्त नियमों का उल्लंघन करते हुए कराये गये कार्यों का भुगतान माप्पुस्त में विपत्र के रूप में बिल तैयार कर अनियमित ढंग से भुगतान किया गया है। यहॉ तक कि माप्पुस्त से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि भुगतान किस श्रमिक तथा किस आपूर्तिकर्ता को किया है, फलतः वित्तीय अनियमितता से इंकार नहीं किया जा सकता है जिसके लिए आप दोषी हैं।

3. स्वीकृत प्राक्कलित राशि के समतुल्य ही भुगतान किया जाना इस तथ्य को इंगित करता है कि बिना Contractor Profit घटाये ही भुगतान किया गया है, जबकि सभी कार्य विभागीय रूप से कराया गया है। फलतः यह अधिकायी भुगतान का मामला है, जिसके लिए आप दोषी हैं।

4. कार्यों में न्यून विशिष्टि के ईंट का उपयोग करने के लिए भी आप दोषी पाये गये है।

श्री प्रसाद, तत्कालीन प्राक्कलन पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त आरोप संख्या–1 एवं 3 को प्रमाणित नहीं पाया गया।

आरोप संख्या–2 जो विभागीय पत्रांक 28 / 28–7–30–82 / 2000–171 दिनांक 27.07.2000 में निहित निर्देशों का उल्लंघन कर बिना श्रमशक्ति स्वीकृत कराये ही मास्टर रौल पर भुगतान न कर विपत्र के रूप में भुगतान करने तथा सामग्री आपूर्ति के भुगतान अनियमित ढंग से करने से संबंधित है, के संबंध में श्री प्रसाद ने अपने बचाव बयान में उल्लेख किया है कि अल्प अवधि में विभागीीय रूप से कार्य कराने हेतु भारी संख्या में मजदूरों को जुटा पाना संभव नहीं हो पाने के कारण मजदूर मेट के माध्यम से श्रमिकों की आपूर्ति सुनिश्चि करते हुए कार्य कराया गया तथा मेट के माध्यम से प्राप्त प्रमाणक को पारित करते हुए श्रमिकों को वास्तविक भुगतान किया गया हैं निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति के पश्चात आपूर्तिकर्ता से प्राप्त प्रमाणक को विधिवत पारित कर भुगतान किया गया है।

श्री प्रसाद से आरोप संख्या–2 के संबंध में प्राप्त जवाब की समीक्षा में पाया गया कि मापपुस्त संख्या 1192, 1185, 1187, 1189, 1190, 1191, 1193, 1194 एवं 1208 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कार्य में संलग्न श्रमिकों का भुगतान विभिन्न मेटों के माध्यम से प्राप्त प्रमाणक को पारित करते हुए भुगतान किया गया है तथा सामग्री की आपूर्ति का भुगतान आपूर्तिकर्ता से प्राप्त प्रमाणक को पारित कर किया गया है जबकि विभागीय पत्रांक 28/28–7–30–82/2000–171 दिनांक 27.07.2000 के अनुसार श्रमिकों का भुगतान सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदित श्रमबल के आधार पर मास्टर रौल के माध्यम से किया जाना है तथा सामग्री की खरीद आपूर्तिकर्ता से सामग्री आपूर्ति के बाद उनसे प्राप्त प्रमाणकों के आधार पर भुगतान किया जाना है। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सामग्री की आपूर्ति का भुगतान आपूर्तिकर्ता से प्राप्त प्रमाणकों को पारित कर किया गया परन्तु उक्त निदेशों का उल्लंघन करते हुए श्रमिकों का सक्षम प्राधिकार से न तो श्रमशक्ति की स्वीकृति प्राप्त की गयी है एवं न ही मास्टर रौल पर भुगतान किया गया है। फलस्वरूप स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कार्य में वास्तविक रूप से संलग्न श्रमिकों का भुगतान हुआ है अथवा नहीं । अतः श्री अहमद के विरूद्ध विभागीय पत्रांक 171 दिनांक 27.07.2000 में निहित निदेशों का उल्लंघन कर श्रमिकों के भुगतान करने की कार्रवाई का आरोप प्रमाणित होता है।

आरोप संख्या–4 जो न्यून विशिष्टि के ईंट का उपयोग करने से संबंधित है, के संबंध में श्री अहमद के बचाव बयान में उल्लेखित है कि कार्य में चहारदिवारी के Dismentle में प्राप्त Salvage Brick (पुराना ईंट) तथा आवश्यकतानुसार नये ईंट की आपूर्ति लेते हुए कार्य कराना था तथा Salvage से प्राप्त ईंट तथा आवश्यकतानुसार नये ईंट की आपूर्ति लेकर कार्य कराया गया है। उड़नदस्ता जॉच दल द्वारा नमूना संग्रह में नये एवं पुराने ईंटों का नमूने संग्रह किये गये हैं। चूँकि दीवार तोड़कर पुराने ईंट का संग्रहण के क्रम में तोड़ने, ढोने तथा स्टैक करने के क्रम में इन ईंटों में हेयर क्रैक होना तथा कालान्तर में इसके Compressive Strength में कमी पाया जाना स्वाभाविक है।

प्राप्त जवाब की विभागीय समीक्षा में पाया गया कि जॉच फल से स्पष्ट है कि तीन नमूनों में से दो अदद् नमूनों का औसत Compressive Strength (124.73 + 88-87)/2=106.80 kg/cm^2 पाया गया है। (46.77 kg/cm^2) जबकि एक अदद् ईंट का Compressive Strength मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है। उड़नदस्ता जॉच प्रतिवेदन से स्पष्ट नहीं होता है कि जॉच दल द्वारा स्थल से संग्रहित तीन अदद् ईंट का नमूना नये आपूर्ति का है अथवा ईंट (पुराना ईंट) का। जबकि Site A/C Book के अवलोकन से स्पष्ट है कि कार्य में Salvage से कुल 24830 अदद् ईंट प्राप्त कर कार्य में उपयोग किया गया परिलक्षित होता है। उड़नदस्ता द्वारा तीन अदद् ईंट का नमूना संग्रह कर सिंचाई शोध संस्थान, खगौल, पटना से जॉच करायी गयी है। जॉच में ईंट का Compressive Strength 88-87 kg/cm^2 46.77 kg/cm^2 एवं 124.73 kg/cm^2 पाया गया है। ईंट का Compressive Strength 46.77 kg/cm^2 पाया जाना परिलक्षित करता है कि या तो ईंट बहुत ही खराब विशिष्टि का है अथवा पुराना ईंट हो सकता हैं। चूँकि उड़नदस्ता जॉच प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख नहीं है कि नमूना संग्रह में पुराना ईंट लायी गयी है। साथ ही बचाव बयान में यह तथ्य कि नमूना संग्रह में पुराना ईंट था, प्रमाणित नहीं होता है। बचाव बयान में भी पुराना ईट होना मात्र संभावना के रूप में है। ऐसी स्थिति में उक्त ईंट के नमूने को पुराना ईंट माना जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। अतएव तीनों ईंटों का औसत Compressive Strength (124.73 + 88-87+46.77)/3=86.79 kg/cm^2 होता है जो मानक के अनुरूप नहीं है। अतः न्यून विशिष्टि के ईंट का उपयोग करने का आरोप प्रमाणित होता है।

इस प्रकार सम्यक समीक्षोपरान्त श्री नागेश्वर प्रसाद, तत्कालीन प्राक्कलन पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप सं0–2 विभागीय पत्रांक 28/28–7–30–82/2000–171 दिनांक 27.07.2000 में निहित निदेशों का उल्लंघन करते हुए सक्षम प्राधिकार से बिना श्रमशक्ति की स्वीकृति कराये एवं मास्टर रौल पर श्रमिकों का भुगतान न कर मेट के माध्यम से भुगतान करने के प्रक्रियात्मक त्रुटि तथा आरोप सं0–4 कार्य में न्यून विशिष्टि के ईंट का उपयोग करने का आरोप प्रमाणित होता है।

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री नागेश्वर प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, रोसड़ा को निम्न दंड संसूचित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया हैः–

1. दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री नागेश्वर प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, रोसड़ा को उक्त दंड संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 468-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in